

पार्टी व्हपि

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत के उपराष्ट्रपति ने संसद में पार्टी सचेतक अथवा व्हपि के प्रयोग के संबंध में चिंता व्यक्त की है तथा नरिवाचति प्रतनिधियों के स्वतंत्र नरिणयन को सीमति करने पर इसके प्रभाव पर सवाल उठाया है।

पार्टी व्हपि क्या है?

परचिय:

- संसद में व्हपि एक राजनीतिक दल द्वारा वधिनमंडल में अपने सदस्यों को जारी किया गया नरिदेश है, जिसमें उन्हें वशिष्ट वधियकों, प्रस्तावों या संकल्पों पर चर्चा और नरिणय के दौरान होने वाले मतदान की वधि के संबंध में जानकारी दी गई होती है।
- इसके अतरिकित, सचेतक, पार्टी का नामति सदस्य भी होता है जो सदस्यों की उपस्थिति तथा इन नरिदेशों का पालन सुनश्चिति कयि जाने का उत्तरदायी होता है।

उद्देश्य:

- व्हपि का प्राथमिक उद्देश्य पार्टी अनुशासन बनाए रखना, नरिणय लेने में एकरूपता सुनश्चिति करना, तथा पार्टी में दलबदल या असंतोष को रोकना है।
- "व्हपि" शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड के शिकार के मैदानों से हुई है, जहाँ व्हपिर-इन के द्वारा आवारा कुत्तों को झुंड में रखा जाता था।

संवैधानिक स्थिति:

- इसका उल्लेख **संवधान**, सदन के नियमों या किसी संसदीय वधि में नहीं है और यह संसदीय परंपराओं पर आधारति है।

व्हपि के प्रकार:

- **वन-लाइन व्हपि:** यह सदस्यों को वोट के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जाता है। यह किसी सदस्य को पार्टी लाइन का पालन न करने का नरिणय लेने की स्थिति में दूर रहने में सक्षम बनाता है।
- **टू-लाइन व्हपि:** यह सदस्यों को मतदान होने पर सदन में उपस्थिति रहने का नरिदेश देने के लिये जारी किया जाता है। इसमें मतदान के पैटर्न पर कोई वशिष नरिदेश नहीं दिये गए हैं।
- **थ्री-लाइन व्हपि:** यह उक्त दोनों में से सबसे कठोर प्रारूप है, जिसमें सदस्यों को मतदान में उपस्थिति रहना होता है तथा अपने मत को पार्टी के नरिदेशानुसार रखना होता है।

कार्य:

- उपस्थिति सुनश्चिति करना: पार्टी सदस्यों की उपस्थिति सुनश्चिति करने और सदन में **कोरम** बनाए रखने के लिये ज़िम्मेदार।
- समर्थन प्राप्त करना: वशिष्ट मुद्दों के पक्ष में या वरिद्ध समर्थन प्राप्त करने के लिये कार्य करता है।
- अनुशासन बनाए रखना: यह सुनश्चिति करना कि पार्टी के सदस्य पार्टी के दशिा-नरिदेशों का पालन करें तथा स्थरि लोकतांत्रिक संस्था बनाए रखें।
- असंतोष की पहचान करना: सांसदों के बीच असंतोष के संकेतों पर नज़र रखना और पार्टी नेताओं को इसकी रपिर्ट करना।
- आंतरिक पार्टी समन्वय: संसद के भीतर पार्टी सामंजस्य बनाए रखते हुए एक एकीकृत शक्त के रूप में कार्य करता है।

व्हपि का उल्लंघन:

- यदि कोई **संसद सदस्य (MP)/वधिनसभा सदस्य (MLA)** पार्टी व्हपि की अवहेलना करता है, तो उसे **दलबदल वरिधी कानून** के तहत नषिकासन का सामना करना पड़ सकता है, जब तक कि **दो-तहिाई से अधिक** सदस्य असहमत न जताएं, जिससे पार्टी के भीतर वभिजन की संभावना होती है।

कोरम:

- संसद में कोरम, किसी सत्र को वैध माने जाने के लिये उपस्थिति रहने हेतु आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या है।
- यह भारतीय संवधान के अनुच्छेद 100 में वनरिदशि्ट है।
- यह संसद के एक सदन में कुल सदस्यों की संख्या का दसवाँ भाग है। (लोकसभा: 55 और राज्यसभा: 25)।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????????

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (वर्ष 2013)

1. राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं।
2. जबकि संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में कोई वोटिंग अधिकार नहीं है, उन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 व 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/party-whip>

